

प्रेस नोट दिनांक-04.10.2019

(1). आज दिनांक 04.10.2019 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री मनोज कुमार झा द्वारा आगामी विधानसभा उपचुनाव को दृष्टिगत रखते हुये थाना मऊ अंतर्गत वल्नरेबल ग्राम खंडेहा, खप्टिहा तथा थाना रैपुरा वल्नरेबल ग्राम हनुमानगंज के पोलिंग बूथों का भ्रमण कर निरीक्षण किया गया। भ्रमण के दौरान महोदय ने ग्रामीणों से बातचीत की तथा प्रभारी निरीक्षक मऊ, रैपुरा को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

निरीक्षण के दौरान श्री अरुण कुमार पाठक प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ, श्री राजेश कुमार प्रभारी निरीक्षक रैपुरा, श्री वीरेंद्र त्रिपाठी पीआरओ0 पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहे।

(2). आज दिनांक 04.10.2019 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री मनोज कुमार झा द्वारा थाना मऊ का आकस्मिक निरीक्षण कर प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए:-

1. महोदय द्वारा थाना कार्यालय का निरीक्षण कर पैदल गश्त रजिस्टर, एन्टी रोमियो रजिस्टर, टॉप-10 रजिस्टर एवं अन्य रजिस्ट्रों का अवलोकन कर उनके अच्छे खरखाव हेतु निर्देशित किया गया।
2. मालखाने का निरीक्षण कर माल के सही रखरखाव एवं लम्बित मालों के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।
3. लम्बित विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।
4. थाना परिसर/बैरक/बन्दी गृह/कार्यालय/कम्प्यूटर कक्ष में भ्रमण कर साफ सफाई हेतु निर्देशित किया गया।
5. आगामी त्योहारों को सकुशल सम्पन्न करने हेतु निर्देशित किया गया।
6. त्रिनेत्र एप्प में फीडिंग हेतु निर्देशित किया गया।

निरीक्षण के दौरान श्री अरुण कुमार पाठक प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ, पीआरओ0 पुलिस अधीक्षक श्री वीरेंद्र त्रिपाठी एवं अन्य अधि0/ कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के कुशल निर्देशन में आगामी विधानसभा उपचुनाव को दृष्टिगत रखते हुए अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 अभियुक्तों के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब तथा शराब बनाने के उपकरण बरामद किये।

(i). वरि0उ0नि0 श्री दिनेश कुमार सिंह थाना बरगढ़ तथा उनकी टीम द्वारा तुरगवां रोड से अभियुक्त ललोहर प्रजापति पुत्र सुबलाल निवासी मड़हा थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को 05 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना बरगढ़ में मु0अ0सं0 102/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

05 लीटर कच्ची शराब

बरामदगी करने वाली टीम:-

1. वरि030नि0 श्री दिनेश कुमार सिंह थाना बरगढ़
2. आरक्षी अमित कुमार

(ii). श्री रविप्रकाश प्रभारी निरीक्षक थाना मारकुण्डी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अमित कुमार चौहान तथा उनकी टीम द्वारा वहद ग्राम मनगवां से अभियुक्त सुशील कुमार पुत्र बद्रीप्रसाद निवासी टिकरिया थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट को 05 लीटर कच्चा शराब तथा शराब बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मारकुण्डी में मु0अ0सं0 40/19 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

05 लीटर कच्ची शराब तथा शराब बनाने के उपकरण

बरामदगी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री अमित कुमार चौहान थाना मारकुण्डी
2. उ0नि0 श्री सुरेन्द्र कुमार
3. आरक्षी उमाकांत
4. आरक्षी सुब्बालाल

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के कुशल निर्देशन में आगामी विधानसभा उपचुनाव को दृष्टिगत रखते हुए वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में उ0नि0 श्री गुलाबचन्द्र मौर्या थाना मऊ तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 969/14 धारा 279/337/338 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त (1) रज्जू यादव पुत्र फूलचन्द्र निवासी खण्डेहा थाना मऊ तथा मु0सं0 1525/17 धारा 354B/506 भादवि0 के वारण्टी चिरंगा पुत्र देशराज पाल निवासी पतिनिया मजरा नीबी थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री गुलाबचन्द्र मौर्या थाना मऊ
2. उ0नि0 श्री आलोक कुमार

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के कुशल निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री अनिल कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री पुष्पराज सिंह तथा उनकी टीम द्वारा पटेल तिराहा कस्बा कर्वी से चोरी/लूट की योजना बनाते हुए अभियुक्त अशोक कुमार द्विवेदी पुत्र संतोष कुमार द्विवेदी निवासी शोभासिंह का पुरवा कर्वी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 01 अदद पिस्टल मय मैगजीन व 04 अदद कारतूस तथा

चोरी की मोटरसाइकिल हीरो होण्डा ग्लैमर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 715/19 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट व धारा 41/411/413/467/468 /471 भादवि0 पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

1. 01 अदद पिस्टल मय मैगजीन
2. 04 अदद कारतूस
3. हीरो होण्डा ग्लैमर

गिरफ्तार/बरामदगी करने वाली टीम:-

- 1.उ0नि0 श्री पुष्पराज सिंह थाना कोतवाली कर्वी
- 2.उ0नि0 श्री शिशिर कुमार
3. आरक्षी दीपक श्रीवास्तव
4. आरक्षी नन्दलाल राम

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों पर की जा रही कार्यवाही के क्रम में श्री के0के0 मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना मानिकपुर तथा उनकी टीम द्वारा 24 घण्टे के अन्दर चोरी की घटना का खुलासा करते हुए अभियुक्त लवकुश कसेरा पुत्र रमेश कसेरा निवासी हनुमाननगर नैनी बाजार थाना नैनी जनपद प्रयागराज को चोरी के माल व चोरी की घटना में प्रयुक्त सफारी व 01 अदद तमंचा 12 बोर व 04 अदद कारतूस तथा चोरी करने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय हैं कि दिनांक-02/03 रात्रि में घाटी में स्थित पम्प हाउस के पम्प मैन को अज्ञात बदमाशों द्वारा बंधक बनाकर विद्युत ट्रांसफार्मर के पार्ट्स स्टार्टर टेप, 40 एच0पी0 की मोटर चोरी की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 140/19 धारा 382 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। श्री के0के0 मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना मानिकपुर तथा श्री तपेश कुमार मिश्रा चौकी प्रभारी सैरैया अपनी टीम के साथ घटना के शीघ्र खुलासे एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि मुस्लिमपुरवा के पास कुछ व्यक्ति सफारी गाड़ी में ट्रांसफार्मर एवं विद्युत मोटर का सामान आदि लदा है जो शायद किसी का इंतजार कर रहे हैं इस सूचना पर विश्वास करके प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो सड़क पर एक सफारी गाड़ी खड़ी थी जिसके पास 04-05 लोग खड़े थे जो गाड़ी की रोशनी देखकर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गये तथा 01 व्यक्ति जो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिया गया तथा नाम पता पूछते हुए जामातलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम लवकुश कसेरा पुत्र रमेश कसेरा निवासी हनुमाननगर नैनी बाजार थाना नैनी जनपद प्रयागराज बताया अभियुक्त की जामातलाशी ली गयी तो अभियुक्त के पास से 01 अदद तमंचा व 04 अदद कारतूस 12 बोर तथा सफारी गाड़ी से 01 अदद 46 एच0पी0 की मोटर, 02 अदद 100के0वी0ए0 ट्रांसफार्मर के अन्दर की बाइंडिंग, मोटर चलाने का स्टार्टर, इलैक्ट्रिक कटर/ग्राइण्डर,

10 अदद ब्लैड, 05 अदद रिंच, 02 अदद पाना, 02 अदद लीवर नट, 03 अदद प्लास, 01 अदद एंकल रिंच, बरामद किया गया। अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैंने अपने साथियों के साथ दिनांक-02/03 की रात्रि में घाटी में स्थित पम्प हाउस के पम्प मैन को बंधक बनाकर चोरी की थी तथा दिनांक-28.09.2019 की रात्रि में हम सभी लोगों ने सरैया के पास से ट्रांसफार्मर चोरी किया था तथा दिनांक-04.04.2019 को ग्राम छितैनी थाना मऊ के पास रात्रि में टावर से 24 बैट्री तथा जनरैटर तथा दिनांक-06.04.2019 को टावर की 34 अदद बैट्री अमर राजा, 06 बैट्री एच0बी0एल0 की चोरी की थी। इसके अलावा हम लोगों ने इलाहाबाद, फतेहपुर, भुपिया मऊ प्रतापगढ़, थाना बरगढ़, मऊ, में चोरी की घटना की। अभियुक्त के विरूद्ध थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 141/19 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त का विवरण:-

लवकुश कसेरा पुत्र रमेश कसेरा निवासी हनुमाननगर नैनी बाजार थाना नैनी जनपद प्रयागराज
बरामदगी:-

- 1.01 अदद तमंचा व 04 अदद कारतूस 12 बोर
- 2.01 अदद 46 एच0पी0 की मोटर
3. 02 अदद 100के0वी0ए0 ट्रांसफार्मर के अन्दर की बाइंडिंग
4. मोटर चलाने का स्टार्टर
5. इलैक्ट्रिक कटर व ग्राण्डर
6. 10 अदद ब्लैड
7. 05 अदद रिंच
8. 02 अदद पाना
9. 02 अदद लीवर नट
10. 03 अदद प्लास
11. 01 अदद एंकल रिंच

गिरफ्तार/बरामदगी करने वाली टीम:-

1. श्री के0के0 मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना मानिकपुर
2. श्री तपेश कुमार मिश्रा चौकी प्रभारी सरैया
3. वरि0उ0नि0 श्री अशोक कुमार निगम
4. उ0नि0 श्री अनिल कुमार साहू
5. आरक्षी विकास
6. आरक्षी संजय
7. आरक्षी राजकुमार
8. आरक्षी जयप्रकाश
9. आरक्षी सुशील

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के कुशल निर्देशन में पशुओं की अवैध तस्करी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री गुलाब त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर तथा उनकी टीम द्वारा एस0डी0एम0 कॉलोनी राजापुर जाने वाले मार्ग कस्बा राजापुर से अभियुक्त चालक हफीज पुत्र रफीक निवासी आमपुर थाना थरियांव जनपद फतेहपुर व अभियुक्त बिज्राहिम पुत्र राज मोहम्मद निवासी बांधी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को डीसीएम नं0 UP71 T 9223 में 21 अदद भैंसो(06 अदद पड़वा, 03 अदद पडिया, 12 अदद भैंस) लादकर ले जाते समय गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरूद्ध थाना राजापुर में मु0अ0सं0 159/19 धारा 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम व धारा 146/196/39/192/177/207/3/181 एम0वी0 एक्ट के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

1.21 अदद भैंसो(06 अदद पड़वा, 03 अदद पडिया, 12 अदद भैंस)

2.डीसीएम नं0 UP71 T 9223

बरामदगी/गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1.श्री गुलाब त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर

2.आरक्षी अजय

3.आरक्षी लालू यादव